न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकार श्री भागीरथराम आर.ए.एस.
राजस्व लोक अदालत कैम्प –कालेवा

मुकदमा नंबर 40 / 2018

सरकार बनाम 1. भूराराम ,चेलाराम, आम्बाराम पुत्र डूंगराराम चौधरी
गंगादेवी पत्नि खीमाराम प्रजापत, विशनाराम,
मानाराम, उमाराम, पुत्र डायाराम वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः– 26.07.2018

पत्रावल आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 1970 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2074 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम **पारलू** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग / उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग **पारलू** के **खसरा न** 850 / 472, 847 / 471, 469, 845 / 470, 465, 455, 454, 453, 830 / 445, 829 / 445, रकबा कमशः 0.06, 0.07, 1.10, 0.12, 0.11, 0.08, 0.08, 0.09, 0.05, 1.10, बीघा मे चल रहा है।

अतः ग्राम **पारलू** के **खसरा न** 850 / 472, 847 / 471, 469, 845 / 470, 465, 455, 454, 453, 830 / 445, 829 / 445, रकबा कमशः 0.06, 0.07, 1.10, 0.12, 0.11, 0.08, 0.08, 0.09, 0.05, 1.10, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते / सडक का

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, विप्रार्थीगण का वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण के वकील ने आपसी राजीनामा सहमति जाहिर की गयी।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर **पारलू** के **खसरा न** 850/472, 847/471, 469, 845/470, 465, 455, 454, 453, 830/445, 829/445,1.10 रकबा क्रमशः 0.06, 0.07, 1.10, 0.12, 0.11, 0.08, 0.08, 0.09, 0.05,1. 10 बीघा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क 'अ' से 'ब' के अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है एवं परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु 'अ' से 'ब' तक उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत ,खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 26.07.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner